

पी.जे. थॉमस, भा.प्र.से.

अ.शा.पत्र सं.15(2)/2009-प्रशासन

18 फरवरी, 2009

प्रिय श्री विश्वनाथन,

कृपया अपने अ.शा. पत्र सं.10(11)/2000-विधायी-III दिनांक 30.1.2009 का संदर्भ लें जिसके माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता या ऐसे ही उपबंधों के लिए धारा 80 के अंतर्गत नोटिसों का उत्तर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया था।

श्री एच.एल. नेगी, उप सचिव, कमरा नं.86-बी, संसद भवन, संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली-110001 (टेलीफोन नं.23034844 (कार्यालय), 24671627(आवास)), ई-मेल: [dsleg@nic.in](mailto:dsleg@nic.in) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

सादर,

आपका,

(पी.जे. थॉमस)

श्री टी.के. विश्वनाथन.  
विधि सचिव,  
विधायी विभाग,  
शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि: श्री एच.एल. नेगी, उप सचिव